न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 06/2017 – आ0नि0

1. श्री कैलाशचन्द्र आत्मज श्री नन्दराम मीणा निवासी– पन्ना का खेडा, तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा (राज.)

बनाम

1. श्री किशन आत्मज श्री मोहन मीणा निवासी– पन्ना का खेडा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा (राज.)

–प्रार्थी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 05-12-2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि मामले में आवंटन कमेटी जहाजपुर द्वारा दिनांक 20.01.1983 को ग्राम पन्ना का खेडा पटवार हल्का शक्करगढ तहसील जहाजपुर की आराजी नं. 4 जिसके तरमीम नं. 4/2 रकबा 3 बीघा भूमि का आवंटन विपक्षी सं. 1 को किया गया जो विधि एवं आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। आराजी सं. 4 साबिक आराजी सं. 5 से कायम किये गये है। साबिक आराजी सं. 5 के दक्षिण दिशा में अन्य आराजियात है। उसके बाद ग्राम बाकरा से शक्करगढ जाने का रास्ता स्थित है। आराजी सं. 5 इस रास्ते से काफी दूरी पर स्थित है। यह रास्ता साबिक राजस्व नक्शे में दर्ज है एवं मौके पर भी रास्ता मौजूद है। इस रास्ते के पास ही प्रार्थी की आराजियात भी स्थित है जिसके आराजी नं. 30/2, 32/2, 32/3, 37/2, 37/6 व 40/7 है। इसके अलावा इस रास्ते के पास ही प्रार्थी के अन्य रिश्तेदार श्री जग्गनाथ, अम्बालाल की व गांव के अन्य लोगों की आराजियात भी स्थित है। प्रार्थी व अन्य सभी व्यक्ति व ग्रामवासी इस रास्तें के उपयोग अपनी आराजियात व आसपास के गांवों में आने जाने के लिए काफी वर्षो से कर रहे है। विपक्षी सं. 1 ने आवंटनशुदा आराजियात को आराजी सं. 4 में तरमीम न करा कर उक्त रास्ते की भूमि में तरमीम करा ली व इस आवंटन की आड में उक्त रास्ते को बन्द करने पर उतारू है, इस कारण विपक्षी सं. 1 को किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य है। आवंटी सद्भाविक

काश्तकार नहीं है एवं न ही उसका मुख्य धंधा खेती ही है। आवंटी व उसके परिवारजन अन्य धंधा करते है। विपक्षी सं. 1 व उसके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन कृषि नही है। विपक्षी सं. 1 का आवंटन से पूर्व व पश्चात कभी भी इस भूमि पर कब्जा नही रहा है एव न ही उनके द्वारा इस भूमि पर कभी भी फसल ही काश्त ही की गई है जबकि आवंटन नियमों के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटन के पहले साल आधे भू भाग पर व दूसरे साल सम्पूर्ण भू भाग पर फसल काश्त करना आवश्यक है लेकिन आवंटी ने इस आराजी पर आज तक कभी फसल काश्त नही की है। आवंटी के पास पूर्व में ही काफी भूमि होकर वह लेण्ड लोर्ड है। पटवार हल्का द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में प्रार्थी के परिवार के पास करीब 21 बीघा भूमि होना बताया है। आवंटित भूमि के आवंटन बाबत उदघोषणा नही निकाली गई है। यदि इस भूमि की आवंटन से पूर्व सार्वजनिक रूप से उदघोषणा निकाली होती तो प्रार्थी अवश्य ही राजस्व केम्प में जाकर इस भूमि का विपक्षी सं. 1 को आवंटन नही होने देते व इस आवंटन का विरोध करते व विवादित आराजियात पर रास्ता होने से आवंटित नही होने का प्रयास करते। इस प्रकार बिना उदघोषणा व बिना ग्रामवासियों की जानकारी के यह आवंटन किया गया जो निरस्त होने योग्य है। आवंटी ने आवंटन प्रार्थनापत्र के कालम नं. 2 को खाली छोडा। इसमें आवंटी के नाम पर व उसके परिवार के नाम पर कितनी भूमि है, उसका ब्यौरा देना होता है लेकिन आवंटी ने इस कालम में इसका विवरण नही दिया है। इस प्रकार आवंटी ने तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया जो गलत होकर निरस्त होने योग्य है। विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में विपक्षी सं. 01 द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये है, जबकि पत्रावली पर जो सुपुर्दगीनामा मौजूद है उस पर विपक्षी सं. 01 के हस्ताक्षर नही होकर अंगूठे की निशानी लगी हुई है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आवंटी को कभी भी आवंटनशुदा आराजियात सपुर्द नही की गई एवं न ही उसका कब्जा की कराया गया। अतः विपक्षी सं. 01 को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 20.01.1983 को ग्राम पन्ना का खेडा पटवार हल्का शक्करगढ तहसील जहाजपुर की आराजी नं. 04 जिसके तरमीम नं. 4/2 रकबा 3 बीघा भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त कराया जावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2017 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्राथमिक विधिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जिसे दिनांक 21.03.2018 को शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्षों की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किये गये।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि आवंटन कमेटी जहाजपुर द्वारा दिनांक 20.01.1983 को ग्राम पन्ना का खेडा पटवार हल्का शक्करगढ तहसील जहाजपुर की आराजी नं. 4 जिसके तरमीम नं. 4/2 रकबा 3 बीघा भूमि का आवंटन विपक्षी सं. 1 को किया गया जो विधि एवं आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। आराजी सं. 4 साबिक आराजी सं. 5 से कायम किये गये है। साबिक आराजी सं. 5 के दक्षिण दिशा में अन्य आराजियात है। उसके बाद ग्राम

बाकरा से शक्करगढ जाने का रास्ता स्थित है। आराजी सं. 5 इस रास्ते से काफी दूरी पर स्थित है। यह रास्ता साबिक राजस्व नक्शे में दर्ज है एवं मौके पर भी रास्ता मौजूद है। इस रास्ते के पास ही प्रार्थी की आराजियात भी स्थित है जिसके आराजी नं. 30/2, 32/2, 32/3, 37/2, 37/6 व 40/7 है। इसके अलावा इस रास्ते के पास ही प्रार्थी के अन्य रिश्तेदार श्री जग्गनाथ, अम्बालाल की व गांव के अन्य लोगों की आराजियात भी स्थित है। प्रार्थी व अन्य सभी व्यक्ति व ग्रामवासी इस रास्तें के उपयोग अपनी आराजियात व आसपास के गांवों में आने जाने के लिए काफी वर्षो से कर रहे है। विपक्षी सं. 1 ने आवंटनशुदा आराजियात को आराजी सं. 4 में तरमीम न करा कर उक्त रास्ते की भूमि में तरमीम करा ली व इस आवंटन की आड में उक्त रास्ते को बन्द करने पर उतारू है, इस कारण विपक्षी सं. 1 को किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य है। विपक्षी सं. 1 का आवंटन से पूर्व व पश्चात कभी भी इस भूमि पर कब्जा नही रहा है एव न ही उनके द्वारा इस भूमि पर कभी भी फसल ही काश्त ही की गई है जबकि आवंटन नियमों के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटन के पहले साल आधे भू भाग पर व दूसरे साल सम्पूर्ण भू भाग पर फसल काश्त करना आवश्यक है लेकिन आवंटी ने इस आराजी पर आज तक कभी फसल काश्त नही की है। पटवार हल्का द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में प्रार्थी के परिवार के पास करीब 21 बीघा भूमि होना बताया है। आवंटित भूमि के आवंटन बाबत उदघोषणा नही निकाली गई है। आवंटी ने आवंटन प्रार्थनापत्र के कालम नं. 2 को खाली छोडा। इसमें आवंटी के नाम पर व उसके परिवार के नाम पर कितनी भूमि है, उसका ब्यौरा देना होता है लेकिन आवंटी ने इस कालम में इसका विवरण नही दिया है। इस प्रकार आवंटी ने तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया जो गलत होकर निरस्त होने योग्य है। विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में विपक्षी सं. 01 द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये है, जबकि पत्रावली पर जो सुपुर्दगीनामा मौजूद है उस पर विपक्षी सं. 01 के हस्ताक्षर नही होकर अंगूठे की निशानी लगी हुई है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आवंटी को कभी भी आवंटनशुदा आराजियात सपुर्द नही की गई एवं न ही उसका कब्जा की कराया गया। अतः विपक्षी सं. 01 को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 20.01.1983 को ग्राम पन्ना का खेडा पटवार हल्का शक्करगढ तहसील जहाजपुर की आराजी नं. 04 जिसके तरमीम नं. 4/2 रकबा 3 बीघा भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त कराया जावें।

विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी सं. 01 का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विपक्षी सं. 01 को आवंटन सलाहकार समिति ने पूर्ण जांच पड़ताल कर दिनांक 20.01.1983 को आवंटन किया जिसे अपास्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा 37 वर्षों पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं। आवंटित भूमि पर विपक्षी सं. 01 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। ग्राम पन्ना का खेडा की आराजी सं. 04 एक बडा रकबा था जिसमें विपक्षी के साथ साथ गांव के अन्य कई व्यक्तियों को भूमि आवंटित हुयी। वर्तमान में विपक्षी का आवंटित भूमि पर कब्जा हैं एवं उपयोग उपभोग कर रहे हैं। विपक्षी सं. 01 को आवंटित

भूमि रास्ते में दर्ज नहीं हैं। विपक्षी सं. 01 सद्भाविक काश्तकार हैं जिसके परिवार को मुख्य धंधा कृषि हैं। विपक्षी सं. 01 भूमिहीन काश्तकार हैं तथा भूमि आवंटन की पात्रता रखता हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिवक्ता ने अपील के खण्डन में विधिक दृष्टान्त शंकरलाल बनाम स्टेट आर आर डी 2001, ओमप्रकाश बनाम स्टेट आर आर डी 2001, ओमप्रकाश बनाम स्टेट आर एल डब्ल्यू 2003, जगन्नाथ बनाम रामकिशन आर एल डब्ल्यू 2012, रेवती बनाम ओम नारायण आर आर डी 2005, मगना बनाम भोजा व अन्य आर आर डी 1997 पेश किये।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि आवंटी के आवेदन पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20.01.1983 को ग्राम पन्ना का खेडा में आराजी सं. 4 रकबा 3 बीघा भूमि विपक्षी सं. 01 को आवंटन किये जाने हेतु सिफारिश की जाकर दिनांक 24.01.1983 को आवंटित भूमि सुपुर्दगी के आदेश दिये गये, जिस पर आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के हस्ताक्षर हैं। खसरा गिरदावरी ग्राम पन्ना का खेडा संवत् 2071 में आराजी संख्या 4/2 रकबा 3.00 में विपक्षी श्रीकिशन पिता मोहन मीणा सा. देह खातेदार ने खरीफ फसल मक्का 3.00 बीघा एवं 1.15 बीघा में गेंहू काश्त की हुयी है। विपक्षी के नाम आवंटित आराजी नं. 4/2 रकबा 3 बीघा पर प्रार्थी का कब्जा होने संबंधी दस्तावेज प्रार्थी ने प्रस्तुत नहीं किये हैं। आवंटित भूमि के फ्रोड एवं मिस रिप्रजेन्टेशन होने संबंधी प्रार्थी ने कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये हैं। विपक्षी आवंटित भूमि का खातेदार होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) पोषणीय नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार जहाजपुर को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06-12-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.06 16:23:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: